न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 68/ 2019 दायर तारीख :– 11.06.2019

1. गोपाल पुत्र ईश्वर जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. न्यू गायत्री विधा मन्दिर शिक्षा समिति सिंगाटियों की ढाणी जोबनेर जरिये सचिव गणेशलाल कुमावत पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री रमेशचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 1-8-19

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 359/5 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी का 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही हैं वर्णित आराजीयात अविभाजित है लेकिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से उक्त आराजीयात का विभाजन करके मौके पर काबिज है एवं अपने अपने हिस्सें की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात को विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 1 बहानेबाजी करता हुआ टालमटोल करता आ रहा है जिससे वादी का अपने हक व हिस्सें की भूमि की सींव मेड़ कायम करने व उन्नत विकसित करने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 जानबूझकर वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से तकासमा नहीं करवा रहा हैं वादी ने विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से मौके के कब्जें के अनुसार विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 08.06.19 को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इंकार हो गया ओर प्रतिवादी सं0 1 ने मनचाही जगह कब्जा करके स्कूल का निर्माण करवानें एवं वादी को उसके हक व हिस्सें से वंचित करने की धमकी दी इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द शर्मा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया तथा अपने जवाब में कथन किया कि वादी का डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं0 1

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल ज
संवत् 2073–76 की प्रति पेश की है।

4. प्रकरण दिनांक 21.06.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तह
फुलेरा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम
21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

5. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अ
किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील पक्षकारान की ओर से
कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद
डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अ
किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय व
वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है
अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रि
नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार
रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गोपाल पुत्र ईशरा जाति कुम्हार सा0देह0	359/5/ए रकबा 1 बीघा 3 विस्वा
2	न्यू गायत्री विधा मन्दिर शिक्षा समिति, सिंगाटियों की ढाणी, जोबनेर रजि.न. 321/जयपुर/2001–02 जरिये सचिव गणेशलाल कुमावत पुत्र गोपाल कौम कुम्हार सा0देह0	359/5/बी रकबा 3 विस्वा

तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस
एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर
लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले
नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 2.8-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि
सांभर